राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक का नाम
1.	1273 / 2023 पुष्कर पालीवाल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव आयोजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर। 3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।	17.04.2023	श्री राजेश राजकुमावत, अभिभाषक
2.	1274 / 2023 ललित मेघवाल			

आदेश की दिनांक : 21.04.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1273 / 2023 पुष्कर पालीवाल बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव आयोजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सांख्यिकी निरीक्षक के पद पर बी.एस.ओ. कार्यालय, खमनोर, जिला राजसमंद में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने संगणक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन गोगुंदा जो कि तत्समय में नॉन टीएसपी एरिया में आता था, वर्णित किया था। अपीलार्थी का चयन सीधी भर्ती परीक्षा 2018

के द्वारा नॉन टीएसपी एरिया में हुआ। परंतु भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.05.2018 के द्वारा गोगुंदा क्षेत्र को अनुसूचित एरिया घोषित किया गया। अपीलार्थी गोगुंदा, उदयपुर का मूल निवासी है, जो टीएसपी एरिया में आता है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को टीएसपी एरिया हेतु जारी संगणकों की वरिष्ठता सूची में उसका नाम सम्मिलित करने हेतु कई अभ्यावेदन दिए। परंतु उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया। राजस्थान सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.07.2018 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि विभिन्न विभागों के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सृजित पदों पर कार्यरत/पदस्थापित अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के सभी कर्मचारियों से उनके नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उन्हें सूचित किए जाने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर इस आशय का विकल्प पत्र लिया जावे कि वे भविष्य में टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत रहना चाहते हैं अथवा टीएसपी क्षेत्र से बाहर कार्य करना चाहते हैं। अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 05.10.2018 के द्वारा दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर रूपये 18500/– फिक्स वेतन पर हुई थी और उसका पदस्थापन आदेश दिनांक 05.10.2018 के द्वारा ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी गोगुंदा, उदयपुर में किया गया था। अपीलार्थी वरिष्ठता सूची परिपत्र दिनांक 25.05.2022 से व्यथित होकर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि उसकी वरिष्ठता का निर्धारण अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया में उसके द्वारा सीधी भर्ती परीक्षा में चयनित एवं प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाकर उसका नाम संगणकों की टीएसपी क्षेत्र में सम्मिलित किया जावे एवं यथासंभव संशोधन करते हुए उचित आदेश एवं प्रासंगिक लाभ प्रदान किए जावें तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण एक माह की अवधि में किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार

प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सांख्यिकी निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी छः सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त दोनों अपीलें, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 1273/2023 पुष्कर पालीवाल बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव आयोजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 1274/2023 ललित मेघवाल में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य